न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, आई0ए0एस0
प्रकरण संख्या –01 / 2016 (प्रार्थना पत्र 6ए)
जीसीएमएस नं0 2016 / 00087

राज्य सरकार जरिये अमित कुमार प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी, कोटा

–प्रार्थी

बनाम

श्री शंकरलाल नागर उचित मूल्य दुकानदार बम्बूलियाकलां तहसील पीपल्दा कोटा

–अप्रार्थीगण

कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा (राज०)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेष 1976 के तहत जब्तशुदा 70 बेग गेहूं (35 क्विं.) एवं 15 बेग चीनी (7.5 क्विं.) को राजसात करने

निर्णय

दिनांक–26.03.2024

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि श्री अरविन्द पंचायत समिति डायरेक्टर वार्ड नं. 9 पंचायत समिति इटावा द्वारा ग्राम बम्बूलिया कलां के राशन डीलर शंकरलाल नागर द्वारा कृषि उपजमण्डी इटावा में कालाबाजारी हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हेतु आवंटित गेहूं ट्रेक्टर ट्रोली द्वारा ले जाने की लिखित शिकायत तहसीलदार पीपल्दा को प्रस्तुत की गई उक्त शिकायत की जांच हेतु तहसीलदार पीपल्दा श्री कपिल शर्मा द्वारा कृषि उपजमण्डी इटावा मौके पर जाकर जांच की गई मुताबिक तहसीलदार मौके पर ट्रेक्टर ट्रोली नहीं पाई गई । उक्त उचित मूल्य दुकान बम्बूलिया कलां शंकरलाल नागर की जांच तहसीलदार पीपल्दा द्वारा मौके पर जाकर की गई । मौके पर उचित मूल्य दुकानदार शंकरलाल नागर उपस्थित नहीं मिले । डीलर की धर्मपत्नि श्रीमति उर्मिला बाई एवं पुत्री ब्रजकिशोरी उपस्थित मिले । जिनके द्वारा उचित मूल्य दुकान का रिकार्ड उपलब्ध नहीं बताया । रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने के काण उक्त परिसर में कुल 70 बेग प्रत्येक बेग 50 किलो ग्राम कुल 35 क्विं. गेहूं एवं 15 बेग चीनी प्रत्येक बेग 50 किलो ग्राम कुल 7.50 क्विं. चीनी जब्त कर कब्जेराज किया गया । उक्त जब्तशुदा बेग को ग्राम बम्बूलियाकलां के अन्य राशन डीलर श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री नन्द सिंह जाति राजपूत निवासी बम्बूलियाखुर्द की सुपुर्दगी में दिया । राशन डीलर श्री शंकरलाल नागर राशन डीलर का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 तथा इसी आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) के तहत जब्तशुदा 35 क्विं. गेहूं एवं 7.50 क्विं. चीनी मय बारदाना को राजसात करने के आदेश प्रदान फरमावें । साथ ही गेहूं खराब होने की सम्भावना है अंतरिम निस्तारण करने का आदेश फरमावें ।
2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से हरीशचंद्र शर्मा का वकालतनामा पेश हुआ । वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो पत्रावली संलग्न किया गया । वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की गई । पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई । वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की हुई है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि राशन डीलर श्री शंकरलाल नागर द्वारा उचित मूल्य दुकान का रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया जाने से मौके पर कुल 70 बेग प्रत्येक बेग 50 किलो ग्राम कुल 35 क्विंटल गेहूं एवं 15 बेग चीनी प्रत्येक बेग 50 किलो ग्राम कुल 7.50 किलो ग्राम कुल 7.50 क्विं. चीनी बिना रेकार्ड के रखे होने से कब्जे राज ली गई । राशन डीलर का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 तथा इसी आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है । अतः जब्तशुदा माल को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत राजसात करने के आदेश प्रदान फरमावें ।

4. वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि स्वीकृत रूप से प्रतिपक्षी ग्राम पंचायत बम्बूलियाकलां का राशन डीलर है, जिसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये सभी आदेश तथाकथित नियमों की अक्षरतः पालना की जाती रही है । वास्तविकता यह है कि प्रतिपक्षी से राजनेतिक द्वेषता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा तहसीलदार पीपल्दा कोटा को रंजिशवश मिथ्या कथन कर शिकायत प्रस्तुत की जिसके क्रम में दिनांक29.12.2015को डायरेक्टर वार्ड नं0 9 पंचायत समिति इटावा की उपस्थिति में प्रार्थी की राशन की दुकान का मौका मुआयना कर रिपोर्ट तैयार की थी तथा गेहूं के कुल कट्टे 15 (प्रत्येक कट्टा 50 किलो वजनी) तथा शक्कर के कट्टे 15 (प्रत्येक कट्टा 50 किलो वजनी) जब्त किया गया तथा जब्तशुदा गेहूं व शक्कर के कट्टों को बम्बूलियाकलां के अन्य राशन डीलर श्री गजेन्द्र सिंह की सुपुर्दगी में दिया गया । प्रतिपक्षी ने अपनी राशन की दुकान से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर, जिला रसद अधिकारी के कार्यालय में तत्काल सत्यापन हेतु प्रस्तुत कर दिये, तदनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रतिपक्षी की दुकान को प्राप्त गेहूं का विवरण निम्न है ।

(अ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना–

दिनांक 1.12.2015 का स्टॉक–157.07 क्विं0, दिनांक 16.12.2015 तक की बिक्री–141.80 क्विं., शेष 15.80 क्विं0

(ब) अन्त्योदय अन्न योजना–

कुल स्टॉक–47.20 क्विं., कुल बिक्री–28.00 क्विं0 शेष 19.20 क्विं0

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं अन्त्योदय अन्न योजना में उपरोक्तानुसार गेहूं के वितरण के उपरान्त बकाया गेहूं 15.80 + 19.20 कुल 35 क्विंटल जब्त किये गये ।

इसी प्रकार शक्कर का कुल स्टॉक 43.00 क्विं. कुल बिक्री 35.50 शेष 7.35 क्विं. शेष था । 7.50 क्विं0 जो 15 कट्टों में रखी थी को जब्त किया गया ।

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्टतया प्रमाणित है कि प्रार्थी द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है । समस्त कार्यवाही मात्र संदेह के आधार पर मिथ्या सूचना के आधार पर की गई । अतः प्रार्थी के विरूद्व विचाराधीन कार्यवाही निरस्त कर प्रार्थी की राशन की दुकान से जब्त किये गये 70 कट्टे गेहूं (प्रत्येक वजनी 50 किलो) एवं 15 कट्टे शक्कर (प्रत्येक वजनी 50 किलो) प्रार्थी को वापस संभलाये जाने के आदेश प्रदान करने की अनुकम्पा करें ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । दिनांक 29.12.2015 को राशन डीलर श्री शंकरलाल के विरूद्व शिकायत प्राप्त होने पर तहसीलदार पीपल्दा द्वारा जांच की गई जिस अनुसार मौके पर गेहूं 35 क्विंटल एवं शक्कर 7.35 क्विं0 शंकरलाल राशन डीलर के घर पर पाई गई, पृथक से दुकान नहीं बताई, उक्त सामग्री का रेकार्ड उपलब्ध नहीं होना बताया तथा रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने पर जब्त की जाकर मौके पर अन्य राशन डीलर श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री नन्द सिंह जाति राजपूत निवासी बम्बूलियाखुर्द की सुपुर्दगी में दिया गया । जब्तशुदा सामग्री को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद अधिकारी कार्यालय कोटा द्वारा राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है । वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया है उक्त कार्यवाही का जिला रसद अधिकारी कोटा से नोटिस मिला था, तथा उनके द्वारा तत्काल संबंधित स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर, जिला रसद अधिकारी के कार्यालय में सत्यापन हेतु प्रस्तुत कर दिये थे, जिस अनुसार जब्त सामग्री रेकार्ड में उपलब्ध होना बताया है । वकील अप्रार्थी द्वारा रेकार्ड को

जिला कलेक्टर
कोटा

सत्यापन कराना बताया है तथा उनके द्वारा कोई अनियमितता नहीं करना अपने जवाब एवं लिखित बहस में कथन किया है किन्तु इसके समर्थन में इस न्यायालय में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है केवल कथनों के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है ।

6. परिणामस्वरूप अप्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामग्री 35 क्विं. गेहूं एवं 7.50 क्विं. चीनी मय बारदाना को राजसात करने के आदेश दिये जाते है । निर्णय प्रति जिला रसद अधिकारी कोटा को भिजवाया जाकर आदेश दिये जाते है कि उक्त जब्तशुदा सामग्री का निलामी से निस्तारण कराया जाकर पालना से अवगत करावें ।
7. निर्णय आज दिनांक 26.3.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

जिला कलेक्टर कोटा (राज०)

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा